

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : 1113

दिनांक : 5/12/2011

कार्यालय आदेश

पूर्व में मण्डल की बी.एस.आर 2011 (यूनिफाईड) लागू किये जाने हेतु मुख्य अभियंता द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक CE/2011-12/204 दिनांक 29.09.2011 को स्टे (stay) किया जाता है।

इस दौरान जयपुर क्षेत्र के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर 2010 एवं अन्य वृत्तों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबधित प्रचलित बी.एस.आर तकमीने बनाने हेतु प्रभावी रहेगी।

उक्त आदेश अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित हैं।

७१
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त, राज.आ.मं., जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, राज.आ.मं., जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज.आ.मं., जयपुर।
4. तकनीकी सहायक, मुख्य अभियंता, राज.आ.मं., जयपुर।
5. समस्त उप आवासन आयुक्त.....
6. समस्त आवासीय अभियंता.....
7. मास्टर पत्रावली।

मुख्य अभियंता